351

459

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

॥ म0प्र0 ॥

नि/2945/II/15 निगरानी प्रकरण क्र0/ /015

328
18.8.15

Rs.201—

जगदीश वैसवार तनयरामजियावन वैसवार निवासी ग्राम चौगनहा, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी, म0प्र0.

---- निगराकार

बनाम

01-रममलला वैसवार तनय पन्नालाल वैसवार निवासी ग्राम चौगनहा, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी, म0प्र0.

02- शासन म0प्र0

-----गैर निगराकार

श्री मनोज तिवारी द्वारा आज दिनांक 18-8-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी राजस्व निरीक्षक प्र0क्र0 67/अ-12/14-15 दिनांक 05.07.015 मे पारितकिया गया ।

निगरानी अन्तर्गतधारा50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रकरण क संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण की प्रश्नांकित भूमियां निगराकार की पैत्रिक भूमियां है, जिस भूमियो के भूमिस्वामी निगराकारकेपिता रामजियावन थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन भूमियो के मालिक स्वामी स्वत्वधारी निगराकारहै, जिनभूमियो का नामांतरण ~~निगराकार के नाम मामला~~ राजस्व प्र0क्र0 36/अ-6/82-83 दिनांक 30.4.83 द्वाराकिया गयाथातब से वह उक्त भूमियो का तनहा स्वत्व स्वामित्व अधिपत्यधारी चला आ रहाहै, जिस भूमियो कापूर्व मे 51 था का सर्वे

निरंतर....

(351)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग02945 / II / 2015 जिला–सीधी

जगदीश वैसवार / रामलला वैसवार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल हनुमानगढ़, तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण क्रमांक 67 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	